न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-127/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

अवनी सेठ बनाम देव जानी देवी

25.1.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	अवनी सेठ पिता–गोवर्धन सेठ, ग्राम–धोबी टोला तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–खेतीबारी।
क्रेता का नाम एवं पता –	देव जानी देवी पति–जागरण सेठ, ग्राम–धोबी टोला तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–गृहणी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–23/12/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता देव जानी देवी पति–जागरण सेठ, ग्राम–धोबी टोला तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–गृहणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तमाड़	तमाड़/241	882	3173	18¾ डी०
			3174	02¼ डी०
				चौहद्दी:– उ०–खुँटी रोड। द०–कालीपद मुण्डा। पू०–कालीपद मुण्डा वो सनातन सेठ। प०–ठाकुर प्रसाद सेठ।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक–825(ii) दिनांक–31/12/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत रामपद नाऐक वो० के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता स्वयं पंजी–II रैयत है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम ठाकुर प्रसाद सेठ वो किशोर सेठ वो अवनी सेठ पिता–गोवर्धन सेठ है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2020–21 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता स्वयं जमाबंदी रैयत है। तथा रजिस्ट्री पट्टा संख्या 2513 के अनुसार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन परती कदीम एवं दोन तीन किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–2.0 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को कमान मरम्मती एवं अन्य कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो अनुसूचित जाति धोबी समुदाय के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही ग्राम के निवासी है तथा दोनो एक ही पुलिस थाना के अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता अवनी सेठ पिता–गोवर्धन सेठ, ग्राम–धोबी टोला तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता देव जानी देवी पति–जागरण सेठ, ग्राम–धोबी टोला तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–गृहणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–23/12/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता अवनी सेठ पिता–गोवर्धन सेठ, ग्राम–धोबी टोला तमाड़, थाना–तमाड़,

जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता देव जानी देवी पति–जागरण सेठ, ग्राम–धोबी टोला तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–गृहणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तमाड़	तमाड़ / 241	882	3173 3174	18¾ डी० 02¼ डी० चौहद्दीः– उ०–खुँटी रोड। द०–कालीपद मुण्डा। पू०–कालीपद मुण्डा वो सनातन सेठ। प०–ठाकुर प्रसाद सेठ।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।